न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:– 45/2015 (CIS No.:– 14/2015)
CNR No.:– RJJW110000112015

राजस्थान राज्य ....**अभियोगी**

ब ना म

अब्दुल हफीज आत्मज मुन्ना खां, उम्र 52 वर्ष, निवासी– पनवाड, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड (राज.) ....**अभियुक्त**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 432/2014, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हाडा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 07–04–2026**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी गोलू उर्फ गोल्या पुत्र परमार पी.ड.07 द्वारा दिनांक 14–11–2014 को उपस्थित पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) होकर दी गयी लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 पर पुलिस थाना खानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 432/2014 अंतर्गत धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता में बाद अनुसंधान प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त अब्दुल हफीज के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने से हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य परिवादी गोलू उर्फ गोल्या पी.ड.07 द्वारा दिनांक 14–11–2014 को दी गयी लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के अनुसार इस प्रकार हैं कि वह गांव डूण्डी गाडरवाडा का रहने वाला है। दिनांक 14–11–2014 को वह उसके गांव गाडरवाडा से उसकी मोटरसाइकिल डिस्कवर से पनवाड जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल के पीछे उसकी घरवाली मोसीना, उसका लडका मनीष मोटरसाइकिल के आगे बैठा हुआ था। मनीष की उम्र करीब 5 वर्ष थी। उसकी पत्नी की गोद में उसकी बच्ची सकीना उम्र 2 वर्ष बैठे हुये थे। वह समय करीब 02.30 पी.एम. पर कैथूनी से आगे पहुँचा की सामने से एक ट्रेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का जिसकी ट्रोली में चारा भरा हुआ था। ट्रेक्टर के चालक ने ट्रेक्टर को काफी तेज गति एवं गफलत लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल के सामने से टक्कर मार दी जिससे वह तथा उसके बच्चे मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गये। उसके लडके मनीष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उसके तथा उसकी घरवाली व उसकी बच्ची के भी चोटें आयी है तथा मोटरसाइकिल के भी नुकसान हुआ है। मौके पर उसकी जाति समाज के लोग आ गये थे ....इत्यादि। उक्त लिखित तहरीरी

रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के आधार पर पूर्वोक्त वर्णित प्राथमिकी पंजीबद्ध हुई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस थाना खानपुर द्वारा अभियुक्त अब्दुल हफीज के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ।

3. पुलिस द्वारा पेश आरोप पत्र के अवलोकन से अभियुक्त अब्दुल हफीज के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त अब्दुल हफीज को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित कराने के लिये मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 डॉ धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा, पी.ड.02 डॉ राजेन्द्र कुमार सोनी, पी.ड.03 नरेन्द्र कुमार, पी.ड.04 नाजीम अली, पी.ड.05 हुसैन मंसूरी, पी.ड.06 साजिद, पी.ड.07 गोलू उर्फ गोल्या, पी.ड.08 मोसिना, पी.ड.09 मुकेश पारेता, पी.ड.10 मांगीलाल सुमन, पी.ड.11 हेमंत व पी.ड.12 अमरलाल को पेश कर परीक्षित कराया तथा प्रलेखिय साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मनीष प्रदर्श पी–1, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब सकीना प्रदर्श पी–2, चोट प्रतिवेदन मजरूबा मोहसिना प्रदर्श पी–3, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब गोल्या प्रदर्श पी–4, मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट जप्तशुदा ट्रेक्टर रजि. न. RJ33RA1004 प्रदर्श पी–5, फर्द जप्ती ट्रेक्टर रजि. न. RJ33RA1004 प्रदर्श पी–6, नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–7, फोटोग्राफस ट्रेक्टर ट्रोली प्रदर्श पी–8 लगायत प्रदर्श पी–11, फर्द सुपुर्दगी ट्रेक्टर रजि.न. RJ33RA1004 प्रदर्श पी–12, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13, फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी–14, फर्द पंचनामा मृतक मनीष कुमार प्रदर्श पी–15, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक मनीष प्रदर्श पी–16, फर्द डैमेज मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–17, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–18, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–19 व पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाह अमरलाल प्रदर्श पी–20 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद अभियुक्त अब्दुल हफीज को अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होने का अभिवाक् कर गवाहान द्वारा झूंठ बोलने व स्वयं का निर्दोष होकर झूंठा फंसाये जाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त अब्दुल हफीज को आरोपित अपराध बाबत् दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों में से किसी ने भी अभियुक्त अब्दुल हफीज के द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन चलाये जाते समय देखने का कथन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त अब्दुल हफीज को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दू उद्भूत होते हैंः–

(1) " क्या दिनांक 14–11–2014 को समय 02.30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा कैथुनी से आगे एक ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 33 RA 1004 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया तथा परिवादी गोलू उर्फ गोल्या की मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी गोलू उर्फ गोल्या, सकीना व मोसिना के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित हुई तथा उसके बच्चे मनीष कुमार की मौके पर ही मृत्यु कारित हुई ? "

(2) **यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ?**

10. प्रकरण में अभियुक्त पर वाहन ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 33 RA 1004 को उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करने व उक्त दुर्घटना में परिवादी गोलू उर्फ गोल्या, सकीना व मोसिना के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित करने तथा उक्त दुर्घटना में मनीष कुमार की मृत्यु होने का आरोप है, जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष को निम्न बिंदूओं को साबित करना थाः–

(1) **यह कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ही दुर्घटना कारित करने वाला वाहन था?**

(2) **यह कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का संचालन वक्त दुर्घटना अभियुक्त के द्वारा किया जा रहा था ?**

(3) यह कि अभियुक्त ने उक्त जप्तशुदा वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया, जिससे दुर्घटना होना संभाव्य था ?

(4) यह कि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मनीष कुमार की मौके पर ही मृत्यु कारित हुई थी ?

11. उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.07 गोलू उर्फ गोल्या, जो परिवादी/रिपोर्टकर्ता होकर महत्वपूर्ण गवाह भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह गांव डूण्डी गाडरवाड़ा का रहने वाला है। आज से करीब दस ग्यारह साल पहले की बात है। दिन को करीब एक दो बजे की बात थी। वह उसकी मोटरसाईकल डिस्कवर से धुलेट जा रहा था। उसके पीछे मोटरसाईकल पर उसकी पत्नी मोसिना बैठी हुई थी जिसकी गोद में उसकी दो साल की बच्ची थी। उसके आगे

उसका लड़का मनीष जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, बैठा हुआ था। जैसे ही वे कैथूनी से आगे पुलिया के पास पहुंचे कि सामने से एक लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर जिसमें चारा भरा हुआ था। जिसका चालक ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ उनकी तरफ लाया और उनकी मोटरसाईकल के टक्कर मारी। वह ट्रेक्टर चालक को नहीं जानता। वह उसकी साइड पर ही चल रहा था। उसने उसकी मोटरसाईक्ल को रोड़ से नीचे उतार लिया था। टक्कर लगने से वे गिर गये और उसके बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके और उसकी पत्नी के चोटें आई। उसके मुंह पर व नाक पर चोटें आई थी। उसकी मोटरसाईकल टूट गई जिससे काफी नुकसान हुआ। फिर उसके समाज के लोग उनको अस्पताल लेकर गये जहां उसका इलाज हुआ। उसके बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। ट्रेक्टर के नंबर उसे आज याद नहीं है। पुलिस मौके पर आई थी। घटना का मौका मुआयना किया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–14 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। फर्द पंचनामा मृतक मनीष कुमार प्रदर्श पी–15 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पोस्टमार्टम के बाद उसके बच्चे की लाश उसे सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–16 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया था। उसकी मेडिकल की फर्द डेमेज बनाई थी जो प्रदर्श पी–17 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसने तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयान में ट्रेक्टर के नंबर आर जे 33 आर ए 1004 लिखवाये थे।

12. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि घटना करीब दस ग्यारह साल पहले की है। उसकी मोटरसाईकल पर उसकी पत्नी व 03 बच्चों सहित कुल पांच लोग थे। मरने वाला बच्चा आगे टंकी पर बैठा हुआ था। यह कहना गलत है कि वक्त घटना रोड़ संकरा हो। यह कहना सही है कि वह ट्रेक्टर को ओवरटेक कर आगे निकलने लगा तो गाडी फिसलने से गिर गये और बच्चे की रस्सी में गरदन फंसने से उसकी मृत्यु हो गई। ट्रेक्टर महिन्द्रा लाल रंग का था। ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। एक्सीडेण्ट होते ही वे बेहोंश हो गये थे। उनके घर परिवार वाले ही उन्हें अस्पताल में लेकर गये थे और इलाज करवाया था। ट्रेक्टर को उस समय कौन चला रहा था उसे पता नहीं है। उसे तो अस्पताल में आने के बाद होश आया था तब पता चला कि बच्चे मनीष की मृत्यु हो गई है। उसने पुलिस को रिपोर्ट थाने पर दी थी। रिपोर्ट घटना वाले दिन ही करवा दी थी। रिपोर्ट पुलिस वालों ने ही लिखी थी उसने उस पर अंगूठा निशानी की थी।

13. गवाह पी.ड.08 मोसिना, जो प्रकरण में मजरूबा होकर घटना की चश्मदीद साक्षी भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब दस ग्यारह साल पहले की बात है। दिन को दो ढाई बजे करीब की बात थी। वह और उसका पति दोनों उनके गांव से धुलेट मोटरसाईकल से जा रहे थे। मोटरसाईक्ल पर उसके पति के आगे उसका लडका मनीष बैठा हुआ था। उसकी गोद में उसकी लडकी सकीना थी। कैथूनी गांव से आगे पहुंचे कि सामने से एक ट्रेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर जिसमें चारा भरा हुआ था। जिसका चालक ट्रेक्टर को लहराता तेज गति से चलाता हुआ उनकी तरफ आया और उनकी मोटरसाईकल के टक्कर मारी। जिससे वे सभी गिर गये। उसके बच्चे मनीष की मौके पर

ही मृत्यु हो गई। उसके और उसके पति के जगह–जगह चोटें आई। उसके सिर पांव व हाथ पर चोटें आई थी। उनकी मोटरसाईकल टूट गई थी। चालक को वह नहीं जानती। फिर उनके समाज के लोग उन्हें अस्पताल लेकर आये। उसके बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ और उनका मेडिकल मुआयना हुआ।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि करीब आठ दस साल पहले की बात है। दिन को करीब दो ढाई बजे की बात है। वे मोटरसाईकल पर कुल पांच लोग थे। मृतक मनीष मोटरसाईकल के आगे टंकी पर बैठा हुआ था। यह कहना सही है कि ट्रेक्टर सामने से आ रहा था और वे मोटरसाइकल से जा रहे थे। यह कहना सही है कि जैसे ही उन्होंने ट्रेक्टर के साइड से क्रास किया वैसे ही बच्चे की गरदन रस्सी में फंस गई और वे सब नीचे गिर गये। गिरते ही वे सब बेहोश हो गये। उन्हें अस्पताल में जाकर होश आया। उन्हें अस्पताल में होश आने के बाद पता चला कि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसे ट्रेक्टर के नंबर याद नहीं है। ट्रेक्टर कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है।

15. गवाह पी.ड.01 डॉ धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा, जो की प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 14–11–2014 को वह सीएचसी खानपुर पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना खानपुर के प्रतिवेदन पर उसने मृतक श्री मनीष कुमार पुत्र गोलू उर्फ गोलिया उम्र 08 वर्ष निवासी गाडरवाडा थाना खानपुर के शव का परीक्षण किया था जिसके गले पर फन्दे का निशान था जो कि सिर के पीछे हल्का था, पेट के दाहिनी तरफ निचले भाग पर खरोंच 02 गुणा 02 सेमी. थी, उक्त दोनों चोटें मृत्यु पूर्व की थी। उसकी राय में मृतक की मृत्यु का कारण गले में फन्दा लगने के कारण दम घुटने से हुई थी। मृतक की मृत्यु का समय परीक्षण से चार घंटे पूर्व का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी मृत्यु के कारण के बारे में उसकी राय है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

16. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मृतक की मृत्यु गले में फन्दा लगने से हुई थी, सडक दुर्घटना से नहीं हुई थी।

17. गवाह पी.ड.02 डॉ. राजेन्द्र कुमार सोनी, जो प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 15–11–2014 को सीएचसी खानपुर पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना खानपुर के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मजरूबा शकीना पुत्री गोल्या आयु 2 वर्ष निवासी गाडरवाडा के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया गया। जिसके निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट नं01 बांये गाल पर रगड 4 सेमी, चोट सं02 बांयी पिडली पर रगड 4 गुणा 1 सेमी दोनों चोटें साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से आयी हुयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हसताक्षर है और सी से डी मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन उक्त थाने के प्रतिवेदन पर मजरूबा मोहसिना पत्नी गोल्या आयु 22 वर्ष, निवासी गाडरवाडा डूण्डी के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया गया जिसने सिर में दर्द होना बताया। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की आयी हुयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी

उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूबा के पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन थाने के प्रतिवेदन पर मजरूब गोल्या पुत्र परमाल आयु 30 वर्ष निवासी गाडरवाडा डूण्डी के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी। चोट सं01 ऊपरी होंठ के दांये ओर फटा हुआ घांव 2 गुणा 1 सेमी, चोट सं02 दांये गाल पर कई सारे रगड के निशान जो कि लंबाई में 4 सेमी तक के थे। चोट सं03 छाती पर रगड के निशान जो कि लंबाई में 6 सेमी थे। चोट सं04 दांये घुटने पर रगड 5 गुणा 4 सेमी उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है।

18. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि सभी चोटें लगभग 24 घंटे के अंदर आयी हुई थी। अधिकांश चोटें रगडनुमा थी। कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं थी। यह बात सही है कि उक्त सभी चोटें सख्त धरातल पर गिरने से भी आना संभव है।

19. गवाह पी.ड.03 नरेन्द्र कुमार ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 16–11–2014 को सी ओ कार्यालय खानपुर में कान्स्टेबल चालक के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस थाना खानपुर की तहरीर पर उसके द्वारा प्रकरण सं 432/2014 धारा 279, 337, 304 ए आई पी सी में जब्तशुदा वाहन एक ट्रेक्टर महिन्द्रा नम्बर आर जे 33 आर ए 1004 का मैकेनिकल मुआयना उसके द्वारा किया गया था। ट्रेक्टर को चला फिराकर देखा। ट्रेक्टर के आगे बंपर पर रगड का निशान था जो ताजा था। ट्रोली का व्हील कैप दांयी तरफ का ताजा टूटा हुआ था। ट्रेक्टर चालू हालात में था। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी बाद परीक्षण उसकी रिपोर्ट है।

20. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि ट्रेक्टर का मैकेनिकल मुआयना दिनांक 16–11–2014 को किया था। जिस वाहन का मैकेनिकल मुआयना किया था वह महिन्द्रा कंपनी का था। ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 डी आई था। ट्रेक्टर के बंपर पर जो रगड के निशान थे वो बंपर के बीच में थे। बंपर पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ट्रेक्टर ट्रोली पर अन्य कुछ लिखा हुआ हो तो उसे ध्यान नहीं रहा।

21. गवाह पी.ड.04 नाजीम अली ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब आठ साल पहले की बात है। हुसैन अली का महिन्द्रा ट्रेक्टर जिसके नंबर आर जे 33 आर ए 1004 को पुलिस ने खानपुर थाने में दर्ज किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

22. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि ट्रेक्टर कितनी तारीख को जब्त किया था, तारीख उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने तो उसके हस्ताक्षर ही करवाये थे, उसे और कुछ नहीं बताया। उसके अलावा साजिद के भी हस्ताक्षर करवाये थे। यह बात सही है कि उसके व साजिद के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उनके सामने कोई लिखा पढी नहीं हुई।

23. गवाह पी.ड.05 हुसैन मंसूरी ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह महिन्द्रा ट्रेक्टर नम्बर आर जे 33 आर ए 1004 का रजिस्टर्ड मालिक है। उसके ट्रेक्टर को करीब दस ग्यारह साल पहले एक्सीडेण्ट के केस में जब्त किया था। घटना के समय उसके ट्रेक्टर को उसका चालक अब्दुल हफीज पुत्र मुन्ना खां चला रहा था जिसके संबंध में पुलिस ने उसे नोटिस दिया था। नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिस पर सी से डी उसका कलमी जवाब है। उसके ट्रेक्टर ट्रोली के फोटोग्राफ पत्रावली पर मौजूद है जो प्रदर्श पी–8 लगायत प्रदर्श पी–11 है। उसने उसके ट्रेक्टर को न्यायालय के आदेश से थाना पनवाड़ से सुपुर्दगी में लिया था। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

24. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि उसने उसके ट्रेक्टर को चलाने के लिये अब्दुल हफीज को चालक रख रखा था। इस बाबत उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वह पढा लिखा है। यह कहना सही है कि वक्त घटना वह मौके पर मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–7 पर सी से डी भाग उसे पुलिस वालों ने लिखवाया हो बल्कि उसने ही लिखा था। यह कहना सही है कि उक्त ट्रेक्टर उसने बेच दिया हो। यह कहना गलत है कि ट्रेक्टर उसने एक्सीडेंट होने से पहले ही बेच दिया हो।

25. गवाह पी.ड.06 साजिद ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब दस ग्यारह साल पहले की बात है। हुसैन के ट्रेक्टर को पुलिस ने एक्सीडेंट के केस में जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त ट्रेक्टर जिसके नंबर आर जे 33 आर ए 1004 को न्यायालय के आदेश ने उसके सामने सुपुर्दगी में लिया था। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–12 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

26. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि एक्सीडेण्ट बच्ची का हुआ था। जिसका नाम उसे याद नहीं है। रिपोर्ट किसने दर्ज करवायी थी, उसे पता नहीं है। पुलिस ने ट्रेक्टर को घटनास्थल से ही जब्त किया था। समय करीब दो ढाई बजे का था। प्रदर्श पी–6 पर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

27. गवाह पी.ड.09 मुकेश पारेता ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 14–11–2014 को थाना खानपुर पर हेड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन सी एच सी खानपुर से मिली सूचना पर थानाधिकारी के निर्देशानुसार रवाना होकर सी एच सी खानपुर पहुंचा। जहां फरियादी गोलू उर्फ गोल्या ने एक तहरीर रिपोर्ट उसे पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला धारा 279, 337, 304ए का आना पाया गया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन उसके द्वारा किया गया है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतक बच्चा मनीष कुमार की लाश का पंचनामा बनाया गया। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश को उसके पति गोलू उर्फ गोल्या को सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद कार्यवाही वापसी थाने पर आये तहरीर रिपोर्ट, फर्द पंचनामा व फर्द सुपुर्दगी लाश आई सी थाना गोपाललाल ए एस आई को सुपुर्द की जिन्होंने मुकदमा नं

432/2014 धारा 279, 337, 304 ए आई पी सी में दर्ज कर अनुसंधान श्री मांगीलाल जी हेड कानि को सुपुर्द किया। जिसका पृष्ठांकन प्रदर्श पी–13 की पुश्त पर ई से एफ है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जी से एच गोपाललाल ए एस आई के हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी–18 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी गोपाललाल ए एस आई के हस्ताक्षर है जिनको वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है।

28. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि थाने से वह उस दिन करीब 3 बजे रवाना हुआ था और करीब 03.10 पी एम पर अस्पताल पहुंच गया था। यह कहना गलत है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 उसने लिखी हो और गोल्या ने उस पर अंगुठा लगाया हो। तहरीर रिपोर्ट किसने लिखी थी यह उसे पता नहीं है। उसके अलावा अस्पताल में मृतक के परिजन भी मौजूद थे। यह कहना सही है कि लाश सुपुर्दगी, पंचनामा की कार्यवाही उसने कांन्स्टेबल से बनवाई थी। कौनसे कान्स्टेबल से बनवाइ थी उसे नाम याद नहीं रहा। उन्होंने उस दिन थाने पर वापसी करीब 05.30 पी एम पर की थी। एफ आई आर करीब 05.30 पी एम पर दर्ज की थी। उसके सामने प्रकरण में उक्त कार्यवाही के अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई।

29. गवाह पी.ड.10 मांगीलाल सुमन, जो कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 14–11–2014 को थाना खानपुर में हेड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन गोपाललाल ए एस आई द्वारा मुकदमा नंबर 432/2014 धारा 279, 337, 304 ए आई पी सी की अनुसंधान पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु उसके सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान बयान फरियादी गोलू उर्फ गोल्या, गवाह श्रीमती मोसिना, हेमंत, अमरलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। फरियादी की निशांदेही से घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी गवाह हेमंत के हस्ताक्षर है। वाई स्थान पर गवाह अमरलाल की अंगूठा निशानी है। मृतक मनीष कुमार की पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मजरूबान सकीना, गोल्या व मोसिना की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया। चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में क्षतिग्रस्त वाहन मोटरसाईकल डिस्कवर बिना नंबरी की फर्द डैमेज बनाई गई जो प्रदर्श पी–17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी गवाह हेमंत के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर फरियादी की अंगूठा निशानी है। वाई स्थान पर गवाह कैलाशी बाई की अंगूठा निशानी है। प्रकरण में वांछित मुलजिम ट्रेक्टर नंबर आर जे 33 आर ए 1004 को वजह सबूत जब्त किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। जब्तशुदा ट्रेक्टर के वाहन स्वामी हुसैन मंसूरी को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया। नोटिस प्रदर्श पी–7 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व ए से बी वाहन स्वामी के हस्ताक्षर है व सी से डी वाहन स्वामी का जवाब है। जब्तशुदा ट्रेक्टर के चालक मुलजिम अब्दुल हाफिज को धारा 134 एम वी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया। नोटिस धारा 134 एम वी एक्ट प्रदर्श पी–19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। ई से एफ मुलजिम का जवाब है। जब्तशुदा ट्रेक्टर को न्यायालय के आदेश से वाहन स्वामी हुसैन नबी अहमद

को सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–12 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जब्तशुदा ट्रेक्टर के फोटोग्राफ्स लिये गये जो प्रदर्श पी–8 लगायत प्रदर्श पी–11 है। जब्तशुदा वाहन के मालिक एवं चालक से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। जब्तशुदा वाहन का मैकेनिकल मुआयना करवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। बाद अनुसंधान मुलजिम अब्दुल हफीज के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए आई पी सी में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् एस एच ओ साहब को पेश की।

30. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि उसे पत्रावली दिनांक 14–11–2014 को प्राप्त हुई थी। पत्रावली कितने बजे उसे मिली उसे समय ध्यान नहीं है किंतु उसे शाम के समय संभलाई थी। घटना समय 02.30 पी एम की थी। तहरीर रिपोर्ट मृतक के पिता गोल्या ने दी थी। यह कहना सही है कि जिन वाहनों के बीच एक्सीडेण्ट हुआ उनके नंबर व चालक का नाम तहरीर रिपोर्ट में लिखकर नहीं दिये फिर कहा कि ट्रेक्टर के नंबर लिखकर दिये थे। यह कहना सही है कि जिस मोटरसाईकल का एक्सीडेण्ट हुआ उस पर उस समय 4 सवारियां थी। यह कहना सही है कि घटनास्थल सिंगल रोड था। यह कहना गलत है कि रोड की दोनों साइडें गहरी हो बल्कि रोड के बराबर थी। यह कहना गलत है कि गवाहान के बयान उसने थाने पर लिये हो बल्कि मौके पर ही दूसरे दिन लिये थे। नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया था। घटनास्थल के आस पास किस किसके खेत है यह उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के आस पास के खेत वालों के उसने बयान नहीं लिये। यह कहना सही है कि घटनास्थल के आस पास वाले कोई स्वतंत्र गवाहान के उसने नक्शा मौका पर हस्ताक्षर नहीं करवाए। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास पुलिया है टर्न हो तो उसे पता नहीं है। नक्शा मौका उसने दस बजे करीब बनाया था। थाने से घटनास्थल पर वह अकेला ही गया था। पंचनामा व लाश सुपुर्दगी वगैरह मुकेश जी हेड साहब ने बनाया था। मोटरसाईकल की फर्द डैमेज मोटरसाईकल के इंजन नंबर व चेचिस नंबर से बनाई थी मोटरसाइकल पर नंबर अंकित नहीं थे। जिस गाडी की फर्द डैमेज बनाई थी उसके इंजन नंबर व चेचिस नंबर उसे याद नहीं है। उसने डेमेज थाने पर ही बनाई थी। ट्रेक्टर की जब्ती उसने थाने पर ही बनाई थी। ट्रेक्टर व ट्रोली दोनों की जब्ती बनाई थी। ट्रेक्टर के इंजन नंबर चैचिस नंबर उसे याद नहीं है। ट्रोली हरे रंग की थी। ट्रोली पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसे ध्यान नहीं है। ट्रेक्टर पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसे याद नहीं है। यह सही है कि ट्रेक्टर ट्रोली के हुलिये के बारे में फर्द जब्ती में कोई हवाला नहीं दिया। जब्ती उसने साढे पांच बजे बनाई थी। वाहन मालिक को नोटिस दिनांक 16 को ही दिया था। यह कहना गलत है कि उसने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो और वह मौके पर नहीं गया हो।

31. गवाह पी.ड.11 हेमंत ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि सन् 2014–15 की घटना है। उसके काकाजी खेमराज जी उर्फ गोल्या उनकी पत्नी मोसिना व मनीष व उनकी छोटी लड़की सकीना चारों गांव से दहीखेडा पनवाड की तरफ मोटरसाईकल से जा रहे थे। दिन को ग्यारह बारह बजे की बात थी। सामने से एक ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को नशे में लहराता हुआ चलाता हुआ लाया। उसके काकाजी ने

मोटरसाईकल साइड में ले ली फिर भी उनकी मोटरसाईकल को टक्कर मार दी। जिससे तीनों के चोटें आई व मनीष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है, ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 था। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को छोडकर भाग गया था। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके चाचा जी की मोटरसाइकल की फर्द डैमेज बनाई थी जो प्रदर्श पी–17 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

32. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि वह एक्सीडेण्ट के समय उसके काकाजी के पीछे ही चल रहा था। उसे एक्सीडेण्ट होता हुआ दिख गया था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर पहुंचा तो वहां पर ट्रेक्टर का चालक नहीं हो। यह कहना गलत है कि वह वहां पहुंचा तब ट्रेक्टर चालक वहां नहीं हो बल्कि उसे देखते ही चालक वहां से भाग गया। ट्रेक्टर चालक का नाम उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मनीष की मृत्यु ट्रेक्टर के पीछे लगी रस्सी में फसने से हुई हो बल्कि ट्रेक्टर के बडे वाले टायर की टक्कर लगने से हुई थी। ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वक्त घटना सिर्फ ट्रेक्टर ही हो बल्कि उसके पीछे धान से भरी ट्रोली भी लगी थी। उसके साथ और कोई भी नहीं था। यह कहना सही है कि उस समय वह रोड सिंगल रोड था।

33. गवाह पी.ड.12 अमरलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब दस बारह साल पहले की बात है। गोल्या उसके पडोस में रहता है। दिन के तीन चार बजे करीब गोल्या उसकी मोटरसाइकिल से पनवाड आ रहा था। उसके साथ मोटरसाइकिल पर उसकी पत्नी मौसीना, उसका लडका मनीष और उसकी बच्ची चारों ही थे। पनवाड के यहां सामने से एक ट्रेक्टर के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मारी जिससे गोल्या, उसकी पत्नी के चोटें आई थी। उसका लडका मनीष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। जिसकी उसे सूचना मिली तो वह खानपुर अस्पताल में आया। ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। खानपुर अस्पताल में पुलिस ने गोल्या के बच्चे की लाश का पंचनामा बनाया था। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी–15 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश को उसके पिता को सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–16 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। घटनास्थल पर पुलिस आयी थी। पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–14 है जिस पर वाई स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। ट्रेक्टर पनवाड का था। ट्रेक्टर चालक का नाम उसे याद नहीं है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि ट्रेक्टर के नंबर आर जे 33 आर ए 1004 थे। यह कहना सही है कि ट्रेक्टर हुसैन मोहम्मद का था।

34. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि वक्त घटना वह उसके घर पर था। उसे गोल्या ने घटना के बारे में बताया था कि उसके लडके की मृत्यु हो गयी है। घटना तीन बजे की थी। वह घटनास्थल पर चार बजे पहुंचा। फिर वहां से वह सीधा खानपुर अस्पताल में आ गया। ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। ट्रेक्टर महिन्द्रा था।

ट्रेक्टर को कौन चला रहा था उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि उसके पुलिस ने अस्पताल में ही अंगुठा निशानी करवा ली थी।

35. पत्रावली पर उपलब्ध समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि दिनांक 14–11–2014 को समय 02.30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा कैथुनी से आगे एक ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 33 RA 1004 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया तथा परिवादी गोलू उर्फ गोल्या की मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी गोलू उर्फ गोल्या, सकीना व मोसिना के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित हुई तथा परिवादी के बच्चे मनीष कुमार की मौके पर ही मृत्यु कारित हुई।

36. उक्त के संबंध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि **"क्या हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ही दुर्घटना कारित करने वाला वाहन था, जिसका चालक अभियुक्त था ?"** इसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के अवलोकन से परिवादी ने दिनांक 14–11–2014 को अपना गाडरवाडा से पनवाड जा रहे होने पर उसकी मोटरसाइकिल के पीछे उसकी पत्नी मौसीना व मौसीना की गोद में उसकी बेटी सकीना का होने व उसके लडके मनीष का मोटरसाइकिल के आगे बैठे हुये होने व समय 02.30 बजे कैथुनी से आगे पहुंचने पर सामने से एक ट्रेक्टर लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का होकर उसकी ट्रोली में चारा भरा हुआ होने व ट्रेक्टर चालक के द्वारा ट्रेक्टर को काफी तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार देने पर अपना व अपने बच्चे का मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर जाना जिससे उसके लडके मनीष की मौके पर ही मृत्यु हो जाना तथा उसकी घरवाली व उसकी बच्ची के भी चोटें आना अंकित कराया है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी का एक्सीडेंट किस ट्रेक्टर से हुआ इस संबंध में कोई नंबर अंकित नहीं कराया है। न्यायालय में हुये बयानों में परिवादी के बयान पी.ड.07 का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने उक्त ट्रेक्टर कौन सा था, इस संबंध में भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कनफ्रंट करने पर यह गवाह तहरीरी रिपोर्ट व पुलिस बयान में ट्रेक्टर के नंबर RJ33RA1004 लिखवाना बताता है। परंतु अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को सही बताता है कि ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। एक्सीडेंट होते ही वह बेहोश हो गया था। इसके अतिरिक्त अन्य चश्मदीद साक्षी मौसीना चूंकि परिवादी की पत्नी है जो वक्त घटना मोटरसाइकिल पर सवार थी, की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह 10–11 साल पहले दिन के 02.00–02.30 बजे अपनी मोटरसाइकिल का एक ट्रेक्टर से एक्सीडेंट होने की साक्ष्य देती है। परंतु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उसे ट्रेक्टर के नंबर याद नहीं होना बताती है। तथा ट्रेक्टर कौन चला रहा था, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं देती है। उक्त दोनों ही गवाह महिन्द्रा ट्रेक्टर लाल रंग का होने की साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों चश्मदीद गवाह, परिवादी व मजरूबा जप्तशुदा वाहन से ही दुर्घटना कारित हुई, ऐसी साक्ष्य नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चश्मदीद साक्षी गवाह पी.ड.11 हेमंत की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं का घटना

वाले दिन उसके काकाजी के पीछे चल रह होने व उसका एक्सीडेंट होने हुये देखे जाने की साक्ष्य दी है तथा अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वह जब मौके पर पहुंचा तो वहां ट्रेक्टर का चालक नहीं हो तथा इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जब वह वहां पहुंचा तो ट्रेक्टर चालक नहीं हो व उसे देखते ही ट्रेक्टर चालक वहां से भाग गया उसे ट्रेक्टर चालक का नाम याद नहीं है। इस प्रकार यह गवाह वक्त घटना घटनावाले दिन अभियुक्त को देखना बताता है परंतु अभियुक्त कौन था, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है और न ही वाहन के रजि. नंबर क्या थे, इस संबंध में कोई साक्ष्य दी है। गवाह पी.ड.12 अमरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कंफ्रर्ट किये जाने पर वाहन ट्रेक्टर के न. RJ33RA1004 होना सही बताया है। जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में यह वक्त घटना अपना अपने घर होना बताता है। जिससे यह गवाह चश्मदीद साक्षी प्रतीत नहीं होता है। जिससे इस गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर परिक्षित किसी भी गवाह ने यह ताईद नहीं की है कि वक्त दुर्घटना उक्त जप्तशुदा वाहन से दुर्घटना कारित हुयी। इसके अतिरिक्त वाहन चालक के संबंध पत्रावली पर उपलब्ध तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 का अवलोकन किया जाये तो परिवादी द्वारा यह अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वाहन किसके द्वारा चलाया जा रहा था। परिवादी ने अपने न्यायालय में हुये बयानों में यह साक्ष्य दी है कि वह ट्रेक्टर चालक को नहीं जानता है। इसके अतिरिक्त चश्मदीद साक्षी पी.ड.08 मौसीना की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दी है कि वह चालक को नहीं जानती है। तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को सही बताया है कि ट्रेक्टर कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी पी.ड.05 की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में वक्त घटना उसका ट्रेक्टर अब्दुल हाफीज पुत्र मुन्ना खां के द्वारा चला रहे होने की साक्ष्य देता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को सही बताता है कि वह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं था। जिसके संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क लिया गया है कि वाहन स्वामी ने अपने जवाब प्रदर्श पी–7 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के द्वारा वक्त घटना उसका वाहन चलाया जा रहा था जिसके संबंध में **" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दृष्टांत संजय कुमार बनाम राज. राज्य 2021 (क्री.रिवी.पि.नं. 695/2021) सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "The reply to the notice under sec. 133 of MV Act given by the owner of vehicle is corroborative piece of evidence, which can not be used as substantive piece of evidence."**

37. **इसके समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत भागचंद बनाम राज. राज्य 2013 1/441/2 सी.आर.एल.आर 2032 सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "यदि दुर्घटना के समय अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाया जाना साबित नही होता है व अन्य किसी चश्मदीद गवाह की साक्ष्य अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाया जाना साबित नही कर पा रही है, विशेषकर कि जब अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नाम नही हो, ऐसे में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना संभव नही है।"** हस्तगत प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 में अभियुक्त का नाम वर्णित

नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि गवाह पी.ड.11 हेमंत की साक्ष्य के अनुरूप यह मान लिया जाये की उसने ट्रेक्टर चालक को देख लिया था फिर भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्तगी परेड इस गवाह या परिवादी व मजरूबा से नहीं करवायी है। जिससे भी वक्त घटना अभियुक्त का जप्तशुदा वाहन चलाया जाना प्रमाणित हो सके। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा वाहन से दुर्घटना कारित होने के संबंध में परिवादी पी.ड.07 की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि वह ट्रेक्टर को ओवरटेक कर आगे निकलने लगा तो गाडी फिसलने से गिर गयी और बच्चे की रस्सी में गर्दन फसने से उसकी मृत्यु हो गयी। गवाह पी.ड.08 मौसीना ने भी अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जो ट्रेक्टर सामने से आ रहा था और वह मोटरसाइकिल से जा रहा था जैसे ही उन्होंने ट्रेक्टर की साइड से क्रास किया वैसे ही बच्चे की गर्दन रस्सी में फस गयी और वह सब नीचे गिर गये। गिरने ही वह सब बेहोश हो गये और उन्हें अस्पताल में होश आने के बाद पता चला कि बच्चे की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार स्वयं परिवादी व चश्मदीद साक्षी/मजरूबा ने यह सुझाव स्वीकार किया है कि लडके की मृत्यु ट्रेक्टर में लगी रस्सी में फसने के कारण हुयी है जिसकी ताईद चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.01 डॉ धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा द्वारा भी की जाकर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मृतक की मृत्यु गले में फंदा लगने से हुयी थी, सडक दुर्घटना से नहीं हुयी थी। जिसके संबंध में परिवादी ने स्वयं अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह ट्रेक्टर को ओवरटेक करके आगे निकला तो गाडी फिसलने से वह गिर गया और बच्चे की गर्दन में रस्सी फस गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार परिवादी की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु होना पत्रावली पर प्रमाणित हुआ न कि जप्तशुदा वाहन से। पत्रावली पर प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 में अंकित तथ्य कि ट्रेक्टर के चालक ने ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिससे उसके बेटे की मृत्यु कारित होना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि वक्त घटना उक्त वाहन का चालक अभियुक्त अब्दुल हफीज था। अतः न्यायालय द्वारा अन्य बिंदुओं पर विवेचन दिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

38. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 14–11–2014 को समय 02.30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा कैथुनी से आगे एक ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 33 RA 1004 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया तथा परिवादी गोलू उर्फ गोल्या की मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी गोलू उर्फ गोल्या, सकीना व मोसिना के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित हुई तथा उसके बच्चे मनीष कुमार की मौके पर ही मृत्यु कारित हुई, जिससे अभियुक्त अब्दुल हफीज को आरोपित अपराध धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

39. अतः अभियुक्त अब्दुल हफीज आत्मज मुन्ना खां, उम्र 52 वर्ष, निवासी– पनवाड, पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड (राज.) को आरोपित अपराध धारा 279, 337, 304(A) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

40. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 33 RA 1004 सुपुर्दगीदार हुसैन मंसूरी आत्मज नबी रसूल, निवासी– पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) को सुपुर्दगी पर दिया गया है, जो सुपुर्दगीदार के पास बना रहे तथा बाद गुजरने मियाद अपील व अपील न होने की स्थिति में सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावे।

41. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जावेगा।

42. **धारा 357–A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः–** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में मोटर दुर्घटना में आहत को क्षति हुई है। न्यायालय के विनम्र मत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मोटरयान के उपयोग से कारित किसी क्षति बाबत प्रतिकर के लिये संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके तहत आहत व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अतः धारा 357–A सीआर.पी.सी. के तहत आहत को प्रतिकर दिलाये जाने बाबत पृथक से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुंशषा किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

43. निर्णय आज दिनांक 07–04–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III "Authenticate document"
Digitally signed by MANSI SONI
Date: 2026.04.10 11:31:56 +0530

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।